

प्रेस नोट दिनांक 08.12.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

□ ➡ □ थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 168 राशि गोवंश को पैदल हांककर वध हेतु बिहार ले जाते समय बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना नौगढ़ पर गठित टीम के द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोवंश पशु तस्करी की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा चन्द्रप्रभा के राजदरी जंगल के पास से 168 राशि गोवंश को वध हेतु क्रूरता पूर्वक एक दूसरे में बांध कर मारते पीटते पैदल हांककर बिहार ले जाते समय बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 114/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 07.12.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान देवदरी चन्द्रप्रभा गेट पर मौजूद थे कि मुखबीर के द्वारा बताया कि कुछ गोवंश तस्कर सोनभद्र, मिर्जापुर देहात क्षेत्र से सस्ते दामो पर गोवंश खरीदकर वध हेतु देवदरी/राजदरी के जंगल के रास्ते बिहार लेकर जाने वाले है। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर चन्द्रप्रभा के राजदरी जंगल के पास से 168 राशि गोवंश को वध हेतु क्रूरता पूर्वक एक दूसरे में बांध कर मारते पीटते पैदल हांककर बिहार ले जाते समय बरामद कर 02 गोवंश तस्करो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान 1. खिचडू यादव पुत्र स्व रामकुंवर यादव निवासी मडरिया थाना चांद बिहार व उम्र करीब 52 वर्ष व दुसरे व्यक्ति की पहचान 2. आशु पुत्र इन्दबली राम निवासी बिरोहिया थाना मडिहान जिला मिर्जापुर उम्र 28 वर्ष। गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार व्यक्तियों से गोवंशो के विषय में पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग मिलकर रावर्टसगंज, अहरौरा के आसपास के गांवो से सस्ते दामो पर खरीदकर जंगल के रास्ते पैदल हांक कर ददरी जंगल (थाना मडिहान जनपद मिर्जापुर) से जानवरो को अपने साथियों के साथ पैदल हांकते हुये, डेकुआ जंगल (मडिहान) होते हुये पतार (थाना राजगढ मिर्जापुर) से लगातार जंगल के रास्ते शक्तेशगढ़ (थाना राजगढ मिर्जापुर) पार करते हुये जंगल में ही आराम करते हुये सिद्धनाथ दरी (जनपद मिर्जापुर) भरूआ के जंगल होते हुए सुकृत रोड पार करते हुये छिवाई देई जंगल होते हुये चन्द्रप्रभा राजदरी होते हुये, जंगल के रास्ते कोइलरवा हनुमान जी मंदिर के पास से भभुआ बिहार होते हुए थाना चांद व चैनपुर के अन्तर्गत लगाने वाले बारून पशु मेला, शिरसी मेला व अइलाई मेला में पहुंचाते है। जहां उचित लाभ पाकर बेच देते है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 114/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नौगढ़, चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. खिचडु यादव पुत्र रामकुंभर यादव ग्राम मरडिया थाना चांद जनपद भभुआ (बिहार) उम्र लगभग 55 वर्ष
2. आशु हरिजन पुत्र स्व० इन्द्रबली ग्राम विरोहिया थाना मडिहान जनपद मिरजापुर उम्र करीब 28 वर्ष

अभियुक्त खिचडू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 112/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु कू० नि० अधि० व 4/25 आर्म्स थाना नौगढ जनपद चन्दौली एक्ट
2. मु०अ०स० 90/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवा०अधि० व 11 पशु कू० निवा०अधि० तथा धारा थाना नौगढ जनपद चन्दौली 429 भादवि
3. मु०अ०सं० 127/23 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4. मु०अ०सं० 114/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि० अधि० थाना नौगढ, चन्दौली

बरामदगी-

168 राशि गोवंश जिन्दा

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2. उ०नि० अमीत कुमार सिंह चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3. हे०क० भृगुनाथ यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4. हे०का० अमित यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
5. का० कोमल सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
6. हे०का० सुबेदार सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
7. का० संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
8. का० गुफरान थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

थाना धीना, जनपद चन्दौली

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की 03 मोटरसाइकिल के बरामदगी के साथ 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धीना के प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.12.2024 को क्षेत्र भ्रमण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन किया जा रहा था कि मुखबीर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना धीना के मु0अ0सं0 98/2024 धारा 352/351(2)/304/3(5)/109/317(2) /318(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट मे वाछित बाल अपचारी चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ जमानिया से डेढगावा की तरफ आ रहा हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जमानिया धीना बार्डर पर कुछ देर पश्चात् जमानिया की तरफ से 01 मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति द्वारा बाइक मोडकर भागने का प्रयास करने लगा परन्तु घेरबन्दी कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया पुलिस अभिरक्षा में लिए गये चालक से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की हैं इसी वजह से पुलिस से बचने के लिये भागने लगा। इसी दौरान बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि एक और मोटर साइकिल चोरी किया हूं जो डेढगावा के जंगल मे छिपा कर रखे हैं। बालअपचारी के द्वारा बताये स्थान डेढगावा स्थित जंगल पहुंचकर दूसरी चोरी की मोटर साइकिल को कब्जा पुलिस मे लिया गया। बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बालअपचारी के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को थाना स्थानीय पर लाकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ के दौरान बालअपचारी के द्वारा बताया कि अपने मित्रगण के साथ मिलकर मोटरसाइकिल करण्डा से चोरी किया है जिसकी नम्बर प्लेट को हमने बदल दिया है तथा दूसरी मोटर साइकिल को जमानिया कस्बे से तथा तीसरी मोटर साइकिल को सकलडीहा से चोरी किया है। इन तीनों चोरी के मोटरसाइकिलों को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

पुलिस अभिरक्षा में-

01 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 98/2024 धारा 352/351(2)/304/3(5)/109/317(2) /318(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1. मो0सा0 UP61S9285 चेचिस नं0 MBLHA10AMDHE24186 ,इंजन नम्बर HA10EJDHE25026 हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला
2. मो0सा0 UP67AD8076 चेचिस नं0 MBLHAW121MHK09340, इंजन नं0 HA11EDMHK05512 हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला
3. UP54AM7472 हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

उ०नि० ताराचन्द्र सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

उ०नि० शेष कुमार राय थाना धीना जनपद चन्दौली

उ०नि० अमरेश मिश्रा थाना धीना जनपद चन्दौली

म०का० रानी सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

का० रंगबहादुर सरोज थाना धीना जनपद चन्दौली

का० अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली

का० शंकर कुमार थाना धीना जनपद चन्दौली